पत्रांक– आ0प्र0–44/2009/....................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में

उप सचिव
बिहार विधान सभा
पटना।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– **श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न संख्या–पुन–2 के उत्तर से उद्‌भूत आश्वासन संख्या–430/2009 का कार्यान्वयन (अनुपालन) प्रतिवेदन का प्रेषण।**

प्रसंगः– **बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 430 दिनांक–27.07.2009**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से प्राप्त प्रतिवेदन (पत्रांक–753 दिनांक–21.10.2014) के अनुसार कार्यान्वयन प्रतिवेदन निम्नवत हैः–

" मामले की जाँच अंचल पदाधिकारी से करायी गयी। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा–रातगाँव में पाँच राजस्व ग्राम थाना नं0–124, 125, 119, 122 एवं 115 कुल रकवा–347.19 एकड़ तथा मौजा आधारपुर मे दो राजस्व ग्राम थाना नं0–127 एवं 129 कुल रकवा–111.97 एकड़ है। स्थानीय जाँच से पता चला कि वर्णित राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत किसी भी कृषकों का जमीन गंगा नदी के कटाव से प्रभावित नहीं हुआ है। अतः इस संबंध में कोई अग्रेतर कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। "

अतः उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुरोध है कि विषयांकित तारांकित प्रश्न के उत्तर से उद्‌भूत विषयाधीन आश्वासन संख्या–**430/2009** को इस विभाग की ओर से कार्यान्वित मानते हुए बिहार विधान सभा की लंबित सूची से मुक्त करने का अनुरोध तारांकित प्रश्न एवं आश्वासन समिति से करने तथा कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
(सुनील कुमार)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–............................/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4514/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 18/12/14

प्रतिलिपि–सुश्री कविता कुमारी, आई0 टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/12/14
संयुक्त सचिव।

\\Pc22-pc\d\2014\Sanjay sir 2014\letter 6-11-14.docx